



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26736-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 138/2026

संजीव अवस्थी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : चंद्रसेन पटेल, यश टंडन

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता), आशीष जायसवाल, संत राम शर्मा

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा नीलामी/निविदा सूचना दिनांक 01.01.2026 से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नीलामी सूचना दिनांक 16.01.2026 को वापस ले ली गई है और इसलिए, अब वाद का कोई कारण शेष नहीं है और याचिका को निष्प्रभावी होने के कारण खारिज कर दिया जाए।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका को निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है, तथा याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला रखा जाता है कि यदि उक्त नीलामी/निविदा सूचना पुनर्जीवित की जाती है या ऐसी कोई नई सूचना जारी की जाती है, तो वह उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

मुकेश पाल/साज़िया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"